न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 19/09 (RCMS No. 2009/00012) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दयाल शंकर पुत्र श्रीराम जाति ब्राहमण निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर जिला भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील भरतपुर
3. छुट्टन पुत्र सरमन जाति जाटव ग्राम मलाह तहसील व जिला भरतपुर
4. रामजी लाल पुत्र सरमन जाति जाटव ग्राम मलाह तहसील व जिला भरतपुर
5. देवी सिंह पुत्र चतुरी राम जाति जाटव विकास नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
6. ज्ञान सिंह पुत्र पूरन सिंह जाति जाटव निवासी नगला तेरहिया हाल आबाद ग्राम मड़ौली तहसील व जिला भरतपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2008

उपस्थितिः—

1. श्री भूपत कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश कर्दभ वकील रैस्पो0 सं0 5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—28.02.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 494 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा वॉके ग्राम मलाह तहसील व जिला भरतपुर जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया था। जिसमें एक पुराना चाह पुख्ता गैर जारी था। वयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/अपीलान्ट का नाम दर्ज हो गया। अपीलान्ट के ख0 नं0 494 के चिपटवा गत ख0 नं0 493 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा वॉके ग्राम मलाह अप्रार्थी के पिता सरमन जाटव की खातेदारी का था। बन्दोवस्त विभाग ने गत ख0 नं0 494

रकवा 3 बीघा 14 विस्वा व ख0 नं0 493 मिन का हाल ख0 नं0 682 रकवा 85 एयर बनाया है। हाल ख0 नं0 683 रकवा 01 एयर गत ख0 नं0 494 से बनना दर्ज किया है। जबकि हाल ख0 नं0 682 रकवा 59 एयर व 683 रकवा 01 एयर गत ख0 नं0 494 मिन रकवा 3 बीघा 13 विस्वा व 494 मिन रकवा 01 से क्रमशः बनना चाहिये था। रैस्पो0 का नाम हाल ख0 नं0 682 पर अपीलान्ट के साथ गलत दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 682 रकवा 59 एयर व 683 रकवा 01 एयर पर न्यारानूर केवल प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम गत ख0 नं0 494 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा व 494 मिन रकवा 01 के दुरूस्त दर्ज किया जावे। अप्रार्थी का नाम हाल ख0 नं0 682 व 683 से कलमजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की तथा यह माना कि 682 रकवा 85 एयर में से अपीलान्ट का रकवा 58 एयर माना जावे तो 27 एयर रकवा अप्रार्थीगण का होता है, जो गत 493 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा के मुकावले 12 एयर कम रहता है। प्रार्थी का रकवा मुताविक मौका सैटिलमैन्ट विभाग ने सही बनाया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के सदस्यों का रकवा गत से वेशी हाल सैटिलमैन्ट में प्रमाणित नही है। इनके रकवे से प्रार्थी के रकवे की पूर्ती नही हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मानने में कानूनी गलती की है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के गत ख0 नं0 493 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बरों से अपने कथित कम हुऐ रकवे की पूर्ती चाही है जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया था कि प्रार्थी साविक ख0 नं0 494 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा का न्यारानूर खातेदार काश्तकार हाल बन्दोवस्त से पूर्व था जिसका सैटिलमेनट से पूर्व जमाबन्दी में न्यारानूर खाता था उसके रकवे में चाह पुख्ता था जिसका हाल बन्दोवस्त ने नवीन ख0 नं0 683 रकवा 01 एयर बनाया मगर शेष रकवे का नवीन ख0 नं0 682 रकवा 85 एयर गलत बना दिया है व पडौसी खातेदारों का नाम प्रार्थी के साथ गलत रूप से दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट का हाल ख0 नं0 682 रकवा 60 एयर दर्ज होना चाहिये था, 25 एयर रकवा ज्यादा दर्ज किया है। इसलिये प्रार्थी का प्रथक नम्बर 682 रकवा 60 एयर दर्ज कर प्रथक खाता बनाया जावे। रैस्पो0 का प्रथक खाता पूर्व बन्दोवस्त के अनुसार दर्ज किया जावे। अपीलान्ट ने 1990 आरआरडी 17 एवं 2000–01 डीएनजे (राज. उच्च न्यायालय) (सपलीमैन्ट्री) 203 पेश कर कथन किया कि बन्दोवस्त विभाग राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तित नही कर सकता है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने कोई प्रतिवाद नही किया है। वह उपस्थित न्यायालय भी आये थे। वकालतनामा भी पेश किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी ओर से कमी पूर्ती का मामला बना कर प्रकरण गलत रूप से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड का अवलोकन कर विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी हाल ख0 नं0 682 रकवा 85 में रैस्पो0 का रकवा आया है। अपीलान्ट सवर्ण जाति के हैं तथा रैस्पो0 अनुसूचित जाति के हैं इसलिये विवादित आराजी जो रैस्पो0 की है, वह अपीलान्ट को ट्रान्सफर नही की जा सकती है और न ही पटवारी तहसीलदार एवं बन्दोवस्त के अमीनों द्वारा जॉच करने पर कोई रकवा की दुरूस्ती की जा सकती है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलान्ट ने धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट साविक ख0 नं0 494 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा का खातेदार था। बन्दोवस्त ने गत ख0 नं0 493मिन एवं 494 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा का हाल ख0 नं0 682 रकवा 85 एयर बनाया है जिसमें छुटटन व रामजी लाल पिसरान सरमन बहिस्सा बराबर जाति जाटव एवं दयालशंकर पुत्र श्रीराम जाति ब्रा0 के नाम का अंकन है। अपीलान्ट ने रैस्पो0 के गत ख0 नं0 493 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर को अलग करने की प्रार्थना की है। अपीलान्ट बन्दोवस्त से पूर्व साविक ख0 नं0 494 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा का न्यारानूर खातेदार काश्तकार था। उसके रकवे में चाह पुख्ता था जिसका हाल बन्दोवस्त ने नवीन ख0 नं0 683 रकवा 01 एयर बनाया है। शेष रकवे का नवीन ख0 नं0 682 रकवा 85 एयर बनाकर पडौसी खातेदारों का नाम अपीलान्ट के साथ दर्ज कर दिया है। बन्दोवस्त विभाग ने गत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किया है जबकि 1990 आरआरडी 17 एवं 2000–01 डीएनजे (राज. उच्च न्यायालय) (सपलीमैन्ट्री) 203 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार बन्दोवस्त विभाग राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तित नही कर सकता है। बन्दोवस्त विभाग ने न्यारानूर खाते को अन्य खाते में शामिल कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट का भी अवलोकन नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय को मौके की रिपोर्ट व साबिक हाल मिलान रिपोर्ट तैयार कराकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.10.2008 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार भरतपुर से मौका रिपोर्ट व साबिक हाल मिलान रिपोर्ट लेकर, दोनों पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर, गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official